भारत सरकार

पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय

....

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 4

(22 नवम्बर, 2011 को उत्तर दिए जाने के लिए)

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति श्रेणियों हेतु निर्धारित पद

4. श्री अम्बेथ राजन:

क्या पेयजल और स्वच्छता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) मंत्रालय में समूह-वार अर्थात् समूह 'क' से समूह 'घ' तक अधिकारियों/कर्मचारियों की कुल स्वीकृत संख्या का ब्यौरा क्या है;

(ख) अधिकारियों/कर्मचारियों की कुल संख्या में से सरकार की आरक्षण नीति के अनुसार अनुसूचित जाति/जनजाति श्रेणियों हेतु निर्धारित पदों की संख्या कितनी है; और

(ग) अधिकारियों/कर्मचारियों की संख्या सरकार की आरक्षण नीति के अनुसार नहीं होने के क्या कारण हैं ?

उत्तर

पेयजल और स्वच्छता मंत्री

(श्री जयराम रमेश)

(क) : समूह क - 26

समूह ख - 52

समूह ग - 26

समूह घ - 11

कुल - 115

(ख) : पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय केवल सलाहकारों (पीएचई) के पदों के लिए संवर्ग नियंत्रण प्राधिकरण है । इस वर्ग में, आरक्षण नीति केवल सहायक सलाहकार (पीएचई) के ग्रेड पर लागू है । सहायक सलाहकारों (पीएचई) के संस्वीकृत 4 पदों में से भर्ती नियमावली के अनुसार दो को प्रतिनियुक्ति द्वारा भरा जाना है और शेष दो को सीधी भर्ती द्वारा भरा जाना है । अब तक केवल 3 डीआर अभ्यर्थियों को भर्ती किया गया है । 13 से कम पदों के काडर में पदों पर लागू आरक्षण रोस्टर के अनुसार, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति हेतु निर्धारित रोस्टर पाइंट अभी भरे नहीं जा सके हैं ।

(ग) : भाग (ख) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता ।

*****